न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 04/2022

दायर दिनांकः 12.01.2022

निर्णय दिनांक 27.05.2025

—: अनवान :—

श्रीमती नेनु बाई पुत्री गोमा जी जाति बलाई पत्नी श्री लेहरू जी जाति बलाई उम्र 55 वर्ष निवासी आगरिया की वाडा तहसील आमेट हाल डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गोपा पुत्र गोमा जी जाति बलाई उम्र 60 वर्ष निवासी आगरिया की वाडा तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. श्री गोवर्धन पिता गोमा जी जाति बलाई उम्र 62 वर्ष निवासी आगरिया की वाडा तहसील आमेट जिला राजसमंद
3. श्री घासी पिता गोमा जी जाति बलाई उम्र 73 वर्ष निवासी आगरिया की वाडा तहसील आमेट जिला राजसमंद
4. श्रीमान् नायब तहसीलदार साहब सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमंद

— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 23.12.1978 फैसल द्वारा नायब तहसीलदार सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसमंद

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश देवपुरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 अनुपस्थित। (एकपक्षीय कार्यवाही)

3— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 45 निर्णय दिनांक 23.12.1978 द्वारा नायब तहसीलदार सरदारगढ़ के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आगरिया पटवार हल्का आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमंद में आ. नं. 3074 रकबा 0.3000, 3075 रकबा 0.5000, 3076 रकबा 0.2700, 3077 रकबा 0.4300, 3084 रकबा 0.6400, 3085 रकबा 0.0300, 3086 रकबा 0.2800 एवं 3087 रकबा 0.2200 कुल किता 08 कुल रकबा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

2.6700 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है,उक्त आराजियात की भूमिया संवत् 2033 की जमाबन्दी में अपीलान्ट के पिता श्री गोमा पिता रता जी निवासी आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमंद का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी मे दर्ज था। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगायत 3 का सजरा निम्न प्रकार है :–

गोमा

घासी (रेस्पोडेन्ट संख्या 3) (पुत्र)	गोवर्धन (रेस्पो. सं. 2) (पुत्र)	गोपा (रेस्पो. सं. 1) (पुत्र)	नेनु (अपीलान्ट) (पुत्री)

मृतक खातेदार श्री गोमा पिता रता जी जाति बलाई निवासी आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमंद के नाम दर्ज उक्त वर्णित भूमियां उनके निधन के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी जायन्दा पुत्री अपीलान्ट नेनु बाई का नाम भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के साथ–साथ बराबर हक से दर्ज होना चाहिये था, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा सजरा गलत तरीके से बना केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 को ही मृतक खातेदार श्री गोमा जी का पुत्र बता विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर खोल दिया व गोमा जी के पुत्री होते हुए भी कोई अंकन नामान्तरकरण में नहीं किया, जबकि अपीलान्ट श्री गोमा जी की जायन्दा पुत्री है, जिसका नाम जानबुझ कर वक्त नामान्तरकरण पटवारी ने नही लिखा एवं पटवारी ने बिना जांच किये नामान्तरकरण को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 नायब तहसीलदार सरदारगढ के समक्ष नामान्तरकरण पेश कर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया गया, जो पटवारी हल्का द्वारा सही रिपोर्ट नही करने एवं बिना अपीलान्ट की जानकारी के नामान्तरकरण फैसल कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट मृतक खातेदार श्री गोमा पिता रता जी बलाई निवासी आगरिया की जायन्दा पुत्री है। जिसका अपने पिता के द्वारा छोडी गई सम्पति मे प्रथम श्रेणी के वारिस होने से अधिकार निहित है तथा नायब तहसीलदार सरदारगढ ने बिना सुने बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये, तथाकथित नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगायत 3 के पक्ष में खोलने मे त्रुटि की है, जो अपास्त योग्य है। तथाकथित नामान्तरकरण अपीलान्ट के मुकाबले आरम्भ से ही अवैध एवं शुन्य है, जो अपास्त होने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 04.01.2022 को हुई, जब अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से उसके पिता से जमीन में आई हिस्से की जमीन की नकल की मांग की, तो अपीलान्ट को जानकारी हुई कि उसका नाम उसके पिता के नाम दर्ज भूमियों मे दर्ज ही नहीं हुआ है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 ने गलत तरीके से पटवारी एवं नायब तहसीलदार सरदारगढ से सांठगांठ कर अपने नाम उक्त भूमियां दर्ज करा दी, जिस पर दिनांक 04.01.2022 को ही अपीलान्ट ने नामान्तरकरण की नकल निकलवाई गई, जिस पर अपीलान्ट को जानकारी हुई कि उसका नाम पटवारी हल्का ने विरासत के आधार पर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नामान्तरकरण में दर्ज ही नहीं किया व गोमा जी के कोई पुत्री नही होना बता अपीलान्ट का नाम हटा दिया। दिनांक 23.12.1978 से दिनांक 04.01.2022 तक का समय जानकारी नही होने से कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर अवधि मानते हुए सुनवाई किया जाना आवश्यक है. जिसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अलग से प्रस्तुत है। उक्त नामान्तरकरण आरम्भ से ही अवैध होकर शुन्य है, जिससे मियाद पर सहानुभूमि पूर्व विचार किया जाना न्यायोचित है। विवादित भूमि जो कि अपीलान्ट के पिता गोमा पिता रता जी बलाई निवासी आगरिया के खातेदारी मे दर्ज थी, जिन्हे उक्त विवादित नामान्तरकरण से रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के नाम दर्ज कर दी, जो सर्वथा गलत है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 23.12.1978 नायब तहसीलदार सरदारगढ़ तहसील आमेट द्वारा स्वीकृत को निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 व 3 बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम आगरिया पटवार हल्का आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमंद में आ. नं. 3074 रकबा 0.3000, 3075 रकबा 0.5000, 3076 रकबा 0.2700, 3077 रकबा 0.4300, 3084 रकबा 0.6400, 3085 रकबा 0.0300, 3086 रकबा 0.2800 एवं 3087 रकबा 0. 2200 कुल किता 08 कुल रकबा 2.6700 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है,उक्त आराजियात की भूमिया संवत् 2033 की जमाबन्दी में अपीलान्ट के पिता श्री गोमा पिता रता जी निवासी आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमंद का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी मे दर्ज था। मृतक खातेदार श्री गोमा पिता रता जी जाति बलाई निवासी आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमंद के नाम दर्ज उक्त वर्णित भूमियां उनके निधन के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी जायन्दा पुत्री अपीलान्ट नेनु बाई का नाम भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के साथ–साथ बराबर हक से दर्ज होना चाहिये था, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा सजरा गलत तरीके से बना केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 को ही मृतक खातेदार श्री गोमा जी का पुत्र बता विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर खोल दिया व गोमा जी के पुत्री होते हुए भी कोई अंकन नामान्तरकरण में नहीं किया, जबकि अपीलान्ट श्री गोमा जी की जायन्दा पुत्री है, जिसका नाम जानबुझ कर वक्त नामान्तरकरण पटवारी ने नही लिखा एवं पटवारी ने बिना जांच किये नामान्तरकरण को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 नायब तहसीलदार सरदारगढ के समक्ष

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नामान्तरकरण पेश कर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया गया, जो पटवारी हल्का द्वारा सही रिपोर्ट नही करने एवं बिना अपीलान्ट की जानकारी के नामान्तरकरण फैसल कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट मृतक खातेदार श्री गोमा पिता रता जी बलाई निवासी आगरिया की जायन्दा पुत्री है। जिसका अपने पिता के द्वारा छोडी गई सम्पति मे प्रथम श्रेणी के वारिस होने से अधिकार निहित है तथा नायब तहसीलदार सरदारगढ ने बिना सुने बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये, तथाकथित नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगायत 3 के पक्ष में खोलने मे त्रुटि की है, जो अपास्त योग्य है। तथाकथित नामान्तरकरण अपीलान्ट के मुकाबले आरम्भ से ही अवैध एवं शुन्य है, जो अपास्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें एवं अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सरदारगढ़ द्वारा पटवारी हल्का द्वारा भरे नामान्तरण पत्र अनुसार विधिसम्मत व नियमानुसार नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सरदारगढ़ द्वारा ग्राम आगरिया के नामान्तरण संख्या 45 दिनांक 23.12.1978 को पारित आदेश के विरूद्ध विचारणीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की, कि मृतक खातेदार श्री गोमा पिता रता जी जाति बलाई निवासी आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमंद के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमियां में उनके निधन के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी जायन्दा पुत्री अपीलान्ट नेनु बाई का नाम भी प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 45 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के साथ–साथ बराबर हक से दर्ज होना चाहिये था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नेनूबाई का नाम दर्ज नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें एवं अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त फरमाया जावें।

उक्त क्रम में ग्राम आगरिया पटवार हल्का आगरिया के नामान्तरण संख्या 45 के अवलोकन पर पाया कि गोमा पिता रता बलाई निवासी आगरिया की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त भूमियों का विरासत से पटवारी हल्का आगरिया द्वारा दिनांक 20.12.1978 को गोमा के पुत्र धीसा, गोरधन, गोपु पिता गोमा बलाई के नाम प्रश्नगत नामान्तरण दर्ज किया गया उक्त नामान्तरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सरदारगढ़ द्वारा उक्त नामान्तरण दिनांक 23.12.1978 को स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादग्रस्त भूमियों में अपने हक होने के आधार पर विचारणीय अपील प्रस्तुत की गयी है। नामान्तरण की कार्यवाही में उत्तराधिकार के जटिल विवादक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। इसके

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लिए पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिए समुचित न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना होता है। राजस्थान भू–अभिलेख(भू–राजस्व) नियमावली 1957 में विहित प्रावधानों अनुसार नामान्तरण की प्रक्रिया एक संक्षिप्त जांच प्रक्रिया है। जिसमें तत्समय उपलब्ध तथ्यों की संक्षिप्त जांच कर रिकॉर्ड में इंद्राज किया जाता है। प्रश्नगत नामान्तरण लगभग 40 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया था, यदि अपीलान्ट के हक अधिकार था अथवा विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है तो 40 वर्ष के लम्बे समय तक उक्त नामान्तरण को चुनौति क्यों नहीं दी गई। नामान्तरण की प्रक्रिया राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने का एक माध्यम है तथा नामान्तरण में कब्जा एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। नामान्तरणएक फिसकल प्रोसडिंग है, जिसके माध्यम से उत्तराधिकार के जटिल बिन्दुओं का निस्तारण नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि चुंकि नामान्तरण की प्रक्रिया राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने का एक माध्यम है तथा नामान्तरण में कब्जा एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। नामान्तरण एक फिसकल प्रोसडिंग है, जिसके माध्यम से उत्तराधिकार के जटिल बिन्दुओं का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सरदारगढ़ द्वारा दिनांक 23.12.1978 को पारित नामान्तरण आदेश यथावत रखा जाता है।

27/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 27.05.2025 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद